CHAPTER - XV

DEMANDS AND RECOVERY

Section 73: Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any willful misstatement or suppression of facts

- (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.
- (2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least three months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.
- (3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.
- (4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under subsection (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.
- (5) The person chargeable with tax may, before service of notice under subsection (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), pay the amount of tax along with interest payable thereon under section 50 on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment.
- (6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.
- (7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under subsection (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.
- (8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) or sub-section (3) pays the said tax along with interest payable under section 50 within

Central Goods & Services Tax Act, 2017

thirty days of issue of show cause notice, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

- (9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and a penalty equivalent to ten per cent. of tax or ten thousand rupees, whichever is higher, due from such person and issue an order.
- (10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within three years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within three years from the date of erroneous refund.
- (11) Notwithstanding anything contained in sub-section (6) or sub-section (8), penalty under sub-section (9) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

www.cggst.com

अध्याय 15 मांग और वसूली

धारा 73: असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन करके या छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण

- (1) जहां समूचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या बुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या बुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने हो या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।
- (2) समूचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय—सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा।
- (3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अविध के लिए कोई सूचना जारी की गई है वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या उपधारा (1) के अधीन आने वाली अविधयों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।
- (4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली कर अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हो, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा।
- (5) कर के प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व कर की रकम का धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ, अपने स्वयं के ऐसे कर के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित कर के आधार पर संदाय कर सकेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।
- (6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण की, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति की बाबत्, तामील नहीं करेगा।
- (7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।
- (8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति, धारा 50 के अधीन

संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का, कारण बताओ सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर, संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

- (9) समुचित अधिकारी कर के प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत् के बराबर रकम या दस हजार रूपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति का अवधारण करेगा और एक आदेश जारी करेगा।
- (10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या गलत इनपुट कर प्रत्यय लिया गया था या उसका गलत उपयोग किया गया था, तीन वर्ष के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जारी करेगा।
- (11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वनिर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की नियत तारीख से तीन दिन की अविध के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

www.cggst.com